

क्रम-संख्या-216 (च)



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०/91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 2 नवम्बर, 2020

कार्तिक 11, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1245/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(155)-2020

लखनऊ, 2 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-440

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) की धारा 20 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या 445/ग्यारह-2-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(118)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, खंड (i) में, प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु यह और कि, जहाँ अनुमोदन पर बिक्री या वापसी के लिए भारत से बाहर भेजे या ले जाये जा रहे माल के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा कार्यवाही पूरा किये जाने या उसका अनुपालन किये जाने की समय सीमा, जो 20 मार्च, 2020 से 30 अक्टूबर, 2020 तक की अवधि के दौरान आती है, को उक्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट या विहित या तद्धीन अधिसूचित की गयी है, और जहाँ ऐसी कार्यवाही ऐसे समय के भीतर पूरी न की गयी हो या उसका अनुपालन न किया गया है, तो ऐसी कार्यवाही को पूरा किये जाने या उसका अनुपालन किये जाने की समय-सीमा 30 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ायी गयी मानी जायेगी।”

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1245/XI-2-20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order (155)-2020, dated November 2, 2020 :

No. 1245/XI-2-20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order (155)-2020

Dated Lucknow, November 2, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 168A of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 13 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification no. 445/XI-2-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order (118)-2020, dated May 11, 2020, namely :-

In the said notification, in the first paragraph, in clause (i), after the first proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely:-

"Provided further that where, any time limit for completion or compliance of any action, by any person, has been specified in, or prescribed or notified under sub-section (7) of section 31 of the said Act in respect of goods being sent or taken out of India on approval for sale or return, which falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 30th day of October, 2020, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action, shall stand extended up to the 31st day of October, 2020."

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.